न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – मानवेन्द्र जायसवाल

किस्म मुकदमा :– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
13/2020	24.08.2020	27.11.2020

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम्

श्रीमती मथुरा पत्नी मोहनसिंह गुर्जर निवासी सूपा तह0 बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना मे वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्रीमती मथुरा पत्नी मोहनसिंह गुर्जर निवासी सूपा तह0 बयाना जिला भरतपुर ने ग्राम सूपा तहसील बयाना की गै.मु.चाह की भूमि आराजी खसरा नम्बर 388 मे रकबा 0.02 हैक्ट भूमि पर फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण, टीनशेड व चारदीवारी कर अतिक्रमण कर लिया है । इसलिये अतिचारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 के तहत दिनांक 10.09.2020 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल ने उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया तथा अपने जबाब में अतिक्रमी द्वारा किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नही किया जाना बताया गया। साथ ही उक्त आराजी अपनी पुश्तैनी जायदाद होना जाहिर किया गया। जिसपर प्रार्थिया के पूर्वज एवं प्रार्थिया लगभग पचासों साल से मकान बनाकर निवास करना बताया। जिसकी जॉच भू.अ.निरीक्षक से करवाई गई। भू.अ.निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट में अतिक्रमी का मौके पर कब्जा बताया गया है। अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा साक्ष्य एवं सबूत पेश नही किया गया जिससे यह माना जा सके कि उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण वैधानिक है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्बत 2077 में उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है इसलिये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अतिचारी श्रीमती मथुरा पत्नी मोहनसिंह गुर्जर निवासी सूपा तहसील बयाना जिला भरतपुर तहसील बयाना का ग्राम सूपा तहसील बयाना की गै.मु.चाह की भूमि खसरा नम्बर 388 मे रकबा 0.02 हैक्ट भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 0.32 रूपये का 50 गुना राशि 16 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मोके से बेदखल कर फसल एवं अन्य साम्रगी आदि को कुर्क कर निलाम करने के आदेश दिये जाते है

निर्णय अनुसार बेदखली ,एवं सामग्री जप्ती तथा पक्का निर्माण ध्वस्त करने एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मॉग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)